

क्रमांक:—एफ.2(242)/डीओआईटी/संस्था/22

जयपुर, दिनांक:

**आदेश**

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प.15(88)FD/Rules/2017 दिनांक 27.02.2022 तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017Pt.दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को सूचना सहायक के पद पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में स्वीकृत की जाती है:-

| क्र. सं. | मेरिट नं० | सूचना सहायक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती | विभाग/कार्यालय का नाम                                                                      | सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक | प्रथम ए.सी. पी. देय तिथि | विशेष विवरण                           |
|----------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1        | 2         | 3                                      | 4                                                                                          | 5                                            | 6                        | 7                                     |
| 1        | W-731     | विष्णु सिंह परिहार                     | कार्यालय निर्वाचक पंजीयन अधिकारी बीकानेर पश्चिम एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) बीकानेर | 27.06.2016                                   | 27.06.2025               | 09 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय |
| 2        | W-52      | विशाल भट्ट                             | सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग पंचायत समिति रायपुर, भीलवाड़ा                            | 27.06.2016                                   | 27.06.2025               |                                       |
| 3        | W-1273    | योगिता गुप्ता                          | कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय खैरथल-तिजारा                                                    | 03.06.2016                                   | 03.06.2025               |                                       |

\* उपर्युक्त सारणी में क्र. सं. 1 पर अंकित सूचना सहायक के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त सभी सूचना सहायकों का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 (2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हे :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध सी.सी.ए. 16/17 के तहत कोई फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
6. इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

**यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

**(संजय जगदीश कर्णिक)**  
**संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष**

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित सूचना सहायक।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

**प्रशासनिक अधिकारी**